UPPB050008552023

# न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट नं0–3, पीलीभीत।

**उपस्थितः** मो0 शहनवाज अहमद सिद्दीकी {उ0प्र0न्यायिक सेवा} **J.O.CODE- UP03213**

**मूलवाद संख्या 506 / 2023**

महेन्द्र कुमार––––––बनाम––––––वंश जायसवाल आदि

**दिनांकः 13.08.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्धान अधिवक्ता उपस्थित आए। पत्रावली पर समझौतेनामा दिनांकित 13.08.2026 दाखिल किया गया है। पक्षकारों के विद्धान अधिवक्ता द्वारा समझौतानामा के आधार पर वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत वाद में पक्षकारो द्वारा समझौतानामा दिनांकित 13.08.2026 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 आपस में सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सगा भतीजा है। पक्षकारो ने अपना भला बुरा सोचने समझने के उपरान्त बगैर किसी जोर व दवाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से आपसी समझौता कर लिया है तथा पक्षकारो ने अपने आपसी समझौते से अपने समस्त विवादित प्रश्नो को निस्तारण कर लिया है / निपटारा कर लिया है अब पक्षकारो के मध्य किसी भी प्रश्न का निस्तारण होना शेष नही है। पक्षकारो के मध्य निम्न वर्णित आपसी समझौता हुआ है :–

(i) वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सगे पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के पिता राममूर्ति लाल पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम पौटाकंला परगना, तहसील व जिला पीलीभीत ने अपनी मृत्यु से पहले प्रतिवादी सख्या 1 वंश जायसवाल के पक्ष मे एक वसीयत निष्पादित की है, जिसका पंजीकरण बही संख्या 3 जिल्द संख्या 224 के पृष्ठ संख्या 39 से 50 पर क्रमांक 10 पर दिनांक 13–01–2011 को उप निबन्धक कार्यालय सदर पीलीभीत पर किया गया है, की बैधता एंव सत्यतता तथा राममूर्ति लाल द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति एवं वगैर किसी जोर व दवाव के वंश जायसवाल के पक्ष मे वसीयत निष्पादित एवं पंजीकृत कराया जाना वादी को स्वीकार है । राममूर्ति लाल पुत्र छोटे लाल की दिनांक 30–12–2022 को मृत्यु होने के उपरान्त से वसीयती सम्पत्ति पर वंश जायसवाल का वतौर विधिक स्वामी दखील व काबिज होना वादी को स्वीकार है।

(ii) न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सदर पीलीभीत द्वारा वाद संख्या टी 202312560102358 सन 2023 वंश जायसवाल, अवयस्क बनाम राममूर्ति लाल अन्तर्गत धारा 34 / 35 उ० प्र० राजस्व सहिता ग्राम पौटाकलां परगना, तहसील व जिला पीलीभीत मे पारित निर्णय / आदेश दिनांक 05–3–2025 के विरूद्व वंश जायसवाल के द्वारा न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर पीलीभीत के समक्ष योजित अपील सख्या टी 202512560103452 वंश जायसवाल बनाम महेन्द्र कुमार, अपील अन्तर्गत धारा 210 भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 35 उपधारा 2 उत्तर प्रदेश भू राजस्व सहिता मे भी पक्षकार समझौता दाखिल करने के उपरान्त, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सदर पीलीभीत की पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्ची गुप्ता द्वारा वाद संख्या टी 202312560102358 सन 2023 वंश जायसवाल, अवयस्क बनाम राममूर्ति

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHNAWAZ AHMAD SIDDIQUI
Date: 2026.08.13 16:43:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लाल अन्तर्गत धारा 34/35 उ०प्र० राजस्व सहिता ग्राम पौटाकलां परगना, तहसील व जिला पीलीभीत के समक्ष लम्बित वाद मे वादी महेन्द्र कुमार पुत्र राममूर्ति लाल राजस्व अभिलेखो मे राममूर्ति लाल पुत्र छोटे लाल द्वारा निष्पादित पंजीकृत दिनांक 13–01–2011 के आधार पर वंश जायसवाल का नाम वसीयती गाटा सख्याओ राजस्व अभिलेखो मे अंकित कराने के लिये वादी महेन्द्र कुमार अपनी सहमति लिखित में देंगे तथा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही करेंगे।

(iii) प्रतिवादी सख्या 2 सुरेन्द्र कुमार पत्र राममूर्ति लाल अपनी कृर्षि भूमि गाटा संख्या 23 के कुल रकवे में से 4 बीघा रकवा उत्तर की दिशा मे वादी महेन्द्र कुमार पुत्र राममूर्ति लाल को देगा, वादी इस भूमि का बिक्रयपत्र अथवा दानपत्र अपने व्यय पर करायेगा। जो दुकाने है उसमे से 4 दुकाने पूरब दिशा की महेन्द्र कुमार को मिलेंगी शेष वंश जायसवाल को मिलेगी।

(iv) राममूर्ति लाल पुत्र छोटे लाल द्वारा निष्पादित पंजीकृत दिनांक 13–01–2011 वादी को स्वीकार है तथा प्रश्नगत वसीयत के विषय मे अथवा वसीयत से आच्छादित सम्पत्ति के विषय मे कोई पक्षकार अथवा उसके उत्तराधिकार भविष्य मे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही करेगे।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि पक्षकारो के मध्य हुये उपरोक्त वर्णित समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से दर्शित है कि समझौतानामा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है तथा उनकी फोटो चस्पा हैं। जिनकी शिनाख्त उनके विद्धान अधिवक्तागण द्वारा की गयी है। समझौतानामा खुले न्यायालय में पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जिस पर पक्षकारों ने अपनी सहमति व्यक्त की। तद्नुसार समझौतानामा न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत वाद समझौतानाम के प्रकाश में निस्तारित किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत सुलहनामा के आधार पर उक्त वाद निर्णीत किया जाता है। समझौतानामा डिक्री का अंश रहेगा। समझौतेनामें की शर्ते केवल पक्षकारों पर ही प्रभावी होंगी। पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे। सुलहनामा का कोई प्रभाव उ0प्र0राज्य या सरकारी जमीनों पर नहीं होगा।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मो0 शहनवाज अहमद सिद्दीकी)
अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
कोर्ट नं0–03, पीलीभीत।
**13.08.2026**